वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा, 2018 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने संबंधी आवष्यक निर्देष

1) परीक्षा प्रपत्रादि भरने के संबंध में जारी किए गए निर्देषों का अनुपालन नहीं किए जाने पर परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित हो सकते हैं, जिसकी सारी जिम्मेवारी परीक्षार्थी एवं संबंधित महाविद्यालय के प्रधान की होगी।

2) परीक्षा प्रपत्र में विषयों के संकेताक्षर (Subject Code) का उल्लेख होना अनिवार्य है। **सूचीकरण स्लीप में जो विषय अंकित होगा, उसी विषय को परीक्षा प्रपत्र में अंकित करेंगे अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने के बावजूद भी वह मान्य नहीं होगा।**

3) परीक्षार्थी किसी एक ही भाषा अंग्रेजी 'ए' या हिन्दी 'ए' को कोर एवं इलेक्टीव के रुप में चयन नहीं कर सकते हैं तथा अतिरिक्त विषय के रुप में (व्यावसायिक विषय छोड़कर) प्रायोगिक विषय का चयन नहीं करेंगे।

4) इंटरमीडिएट परीक्षा में भाषा विषयों को छोड़कर गैर भाषायी विषयों की परीक्षा का माध्यम हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगला एवं उड़िया है। अतएव दूसरी भाषा में परीक्षा लिखना वर्जित है।

5) यदि सूचीकरण स्लिप में किसी तरह का संषोधन (यथा– नाम/पिता का नाम/माता का नाम/विषय/फोटो आदि) की आवष्यकता हो, तो वेबसाइट पर उपलब्ध Format 'A' या 'B' में भरकर, जो लागू हो, परिषद् के ई–मेल ithelp.jac@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिष्चित किया जाय एवं दिनांक 18.01.2018 तक संषोधन अवष्य करा लिया जाय। महाविद्यालय द्वारा किया गया संषोधन मान्य नहीं होगा।

6) किसी भी स्थिति में महाविद्यालय/+2 विद्यालय के द्वारा वैसे परीक्षार्थी का आवेदन प्रपत्र नहीं भरा जायें जिनका सूचीकरण उक्त महाविद्यालय/+2 विद्यालय से नहीं हुआ है। यदि ऐसा पाया जाता है तो उस महाविद्यालय/+2 विद्यालय के विरुद्ध कार्रवाई हेतु विष्वविद्यालय/राज्य सरकार को सूचित किया जाएगा।

7) सभी महाविद्यालय/+2 विद्यालय के प्राचार्यो को सूचित किया जाता है कि नियमित/पूर्ववर्त्ती/सम्मुन्नत/Qualifying छात्र/छात्राओं की शुल्क की राषि वेबसाइट पर दिए गए निदेष के अनुसार RTGS के माध्यम से जमा किया जाय।

8) अनु0 जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं (केवल नियमित) को परीक्षा शुल्क ` 200.00 देय नहीं होगा। अन्य शुल्क सामान्य परीक्षार्थियों की तरह देय होगा। सामान्य वर्ग की छात्राओं (केवल नियमित) को परीक्षा शुल्क ` 200.00 देय नहीं होगा। **स्थापना अनुज्ञा प्राप्त महाविद्यालयों के अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के छात्र को वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2018 के लिए परीक्षा शुल्क ` 200.00 देय होगा।**

9) स्थापना अनुज्ञा प्राप्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत् नियमित छात्राओं को वार्षिक इंटर परीक्षा, 2018 के लिए परीक्षा शुल्क ` 200.00 देय नहीं होगा।

10) ऐसे छात्र/छात्रा जो सत्र 2004–06 से 2013–15 तक पंजीकृत परीक्षार्थियों की सूचीकरण अवधि समाप्त हो गयी है, उसके लिए परीक्षा आवेदन पत्र के साथ सूचीकरण प्रपत्र भी भरना अनिवार्य होगा। परीक्षा शुल्क सामान्य छात्र/छात्रा के अनुसार ही देय होगा तथा पंजीयन आवेदन प्रपत्र के साथ पूर्व में निर्गत सूचीकरण संख्या देना अनिवार्य है अन्यथा इसे रद्द कर दिया जायेगा।

11) **Qualifying Examination in One Subject – As per section 42 of Regulation of Examination**

A candidate who has passed Intermediate Examination in Arts, Science or Commerce may if he/she so desires, appear in any **one subject** of the Intermediate Examination under this Regulation **other than the subject in which he has already passed** and **if he/she secures at least the minimum pass marks prescribed for the subject he/she shall be given a certificate to the effect that he/she has passed in the subject.** Attendance at lectures and tutorials shall not be compulsory.

Provided that if such a candidate offers a subject in which practical examination is prescribed (other than Music and Home Science) **he/she shall be required to complete a regular course of practical work for a period of at least one year** in any Institution recognized by the Council and to produce a certificate from the principal of the Institution to that effect.

समुन्नत परीक्षा, 2018 के लिए आवष्यक निर्देष

समुन्नत परीक्षा, 2018 के परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने एवं जमा करने हेतु तत्सम्बन्धी नियम संदर्भ हेतु नीचे उद्धृत है :–

Improvement of Performance

1) A candidate who has passed an examination of the Council may **re-appear for improvement of performance in one or more subjects in the main examination in the succeeding year only**. He will appear as a private candidate with his original registration number of the Council.
2) Those re-appearing for the whole examination may, however, appear as regular candidates also, if admitted by the School/+2/Intermediate College as regular student.
3) A candidate appearing for improvement in subject(s) involving practical shall appear only in theory and previous practical marks shall be carried forward and accounted for.
4) A candidate appearing for improvement of performance shall be issued only Statement of marks reflecting the marks obtained at the improvement examination in the subject(s).

N.B. : Improvement examination can not be allowed for any subject in which the candidate had failed.

नोट : **परीक्षा आवेदन पत्र पूरी सावधानी के साथ भरा जाय। उसमें किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो उसके लिए संबंधित परीक्षार्थी एवं संबंधित संस्था के प्रधानाचार्य जिम्मेवार होंगे।**